पत्र सं०–6 एस०एस०(6)35/2024–570/

बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

गीता सिंह, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वाराः– **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषयः– **"आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" के तहत पशुधन रोगों के निदान के लिए अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स–रे प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 890.28 लाख (आठ करोड़ नब्बे लाख अठाईस हजार) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" के तहत पशुधन रोगों के निदान के लिए अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स–रे प्रणाली स्थापित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 890.28 लाख (आठ करोड़ नब्बे लाख अठाईस हजार) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। विस्तृत व्यय विवरणी–''क'', ''ख'' एवं ''ग'' के रूप में संलग्न।

2. बिहार राज्य की लगभग 88 प्रतिशत आबादी गाँवों में रहती है और वे अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से कृषि और पशुधन पर निर्भर करती है। इसलिए पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पशुपालन डेयरी, मुर्गी पालन, बकरी, भेड़ और सूअर पालन के माध्यम से अंशकालिक से लेकर पूर्ण रोजगार प्रदान करता है। यह क्षेत्र दूध, अंडे, मांस और उनके विभिन्न उत्पादों जैसे बिक्री योग्य उत्पादों के दैनिक उत्पादन के कारण नियमित आय के बहुत अच्छा स्रोत प्रदान करता है। गरीबी में कमी, स्वरोजगार, किसानों की आय में वृद्धि करने और प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में सहारा प्रदान करने में इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।

3. गुणवत्तापूर्ण पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिकोण से पशु रोगों का ससमय निदान एक महत्वपूर्ण अवयव है। वर्तमान में राज्य के पशु चिकित्सालयों में पशुओं विशेषकर दुर्घटनाग्रस्त पशुओं के आंतरिक अंगों की जाँच हेतु कोई विशिष्ट उपकरण उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त के आलोक में राज्य के 101 अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में पशुधन एवं पोल्ट्री रोगों के निदान के लिए डिजिटल एक्स–रे प्रणाली स्थापित किये जाने की आवश्यकता है।

4. इस योजना के तहत राज्य के 101 अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स–रे प्रणाली संस्थापित कराया जाना है ताकि राज्य के पशुपालकों के पशुओं को इन पशु चिकित्सालयों के माध्यम से बेहतर एवं सुलभ पशु चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध करायी जा सके।

5. इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पशु चिकित्सालयों में चरणबद्ध रूप से पशुधन और कुक्कुट रोगों के निदान और निगरानी की क्षमता विकसित करना है ताकि पशुपालकों को आर्थिक क्षति से बचाया जा सके।

6. प्रत्येक डिजिटल एक्स–रे प्रणाली के लिए अनुमानित इकाई लागत रुपये 11.00 लाख (ग्यारह लाख) के आधार पर कुल 101 इकाई डिजिटल एक्स–रे प्रणाली के क्रय एवं संस्थापन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 1111.00 लाख (ग्यारह करोड़ ग्यारह लाख) मात्र की लागत आकलित की गयी जिसके आधार पर विभागीय राज्यादेश सं०–2233, दिनांक 21.05.2025 के द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7. उक्त विभागीय राज्यादेश के आलोक में योजना का कार्यान्वयन बी०एल०डी०ए०, पटना के माध्यम से किया जाना है तथा बी०एल०डी०ए०, पटना द्वारा डिजिटल एक्स–रे प्रणाली की तकनीकी विशिष्टियों का निर्धारण करते हुए दर/आपूर्तिकर्त्ता का निर्धारण GeM Portal/निविदा के माध्यम से किया जाना है।

8. वर्तमान में बी०एल०डी०ए०, पटना के पत्रांक–1865, दिनांक–27.11.2025 के द्वारा क्रय हेतु सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरान्त Eproc-2 पर निविदा प्रकाशित कर डिजिटल एक्स–रे प्रणाली हेतु Price Discovery की गयी एवं तदनुसार डिजिटल एक्स–रे प्रणाली के लिए प्रति इकाई दर रुपये 31.27 लाख (एकतीस लाख सताईस हजार) मात्र का निर्धारण हुआ है। उक्त दर के आधार पर पूर्व में स्वीकृत प्रति इकाई राशि रुपये 11.00 लाख (ग्यारह लाख) मात्र से निविदा के माध्यम से निर्धारित राशि में रुपये 20.27 लाख (बीस लाख सताईस हजार) मात्र का अन्तर है। उक्त के आधार पर वर्तमान में डिजिटल एक्स–रे प्रणाली के अधिष्ठापन हेतु स्थल/कक्ष की उपलब्धता के आलोक में कुल 64 (चौंसठ) इकाई डिजिटल एक्स–रे प्रणाली के क्रय एवं संस्थापन हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में कुल रुपये 890.28 लाख (आठ करोड़ नब्बे लाख अठाईस हजार) मात्र अतिरिक्त राशि की आश्यकता होगी।

9. योजना कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावित राशि की एकमुश्त अग्रिम निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार लाईवस्टॉक डेवलपमेन्ट एजेन्सी (बी०एल०डी०ए०), पटना के पी०एल० खाता (संख्या–PBBPLA028) में अंतरित किया जायेगा तथा परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० के द्वारा राशि का नियमानुसार व्यय करते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

10. वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रस्तावित योजना के तहत होने वाले व्यय का विकलन निम्नांकित बजट शीर्ष से किया जायेगा :–

i) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –पशु चिकित्सा सेवाएँ तथा पशु स्वास्थ्य, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0108 –पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–02–2403001010108.

ii) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0112 –पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड–02–2403007890112.

iii) मुख्य शीर्ष–2403 –पशुपालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, मांग संख्या–02, उप शीर्ष–0131 –पशु संसाधनों का विकास एवं पशु स्वास्थ्य प्रबंधन–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2403007960131.

11. वित्तीय वर्ष 2025–26 में प्रस्तावित योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत सभी विपत्र कोड के तहत 3106–सहायक अनुदान–गैर वेतन विषय शीर्ष में पर्याप्त बजट उपबंध उपलब्ध है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक– "क", ''ख'' एवं ''ग'' के रूप में संलग्न है।

12. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे।

13. दिनांक–17.12.2025 को संपन्न विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित स्कीम को चालू स्कीम के रूप में स्वीकृति हेतु अनुशंसा प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)35/2024 के पृष्ठ 48–47/प०.

14. निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

15. चूँकि यह "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" अन्तर्गत चालू योजना है। योजना का लागत मूल्य 5.00 करोड़ से अधिक एवं 15.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888/वि०, दिनांक–03.12.2024 में सन्निहित प्रावधान एवं योजना लागत मूल्य के अनुसार प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)35/2024 के पृष्ठ–33/टि० एवं दिनांक–20.01.2026.

16. राज्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)35/2024 के पृष्ठ–32/टि० तथा डायरी संख्या–661, दिनांक–19.12.2025.

17. वित्त विभाग के पत्र सं०–7355, दिनांक–05.10.2007 से संबंधित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से राशि की निकासी में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,
(गीता सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2024– 570 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2024– 570 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2024– 570 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35/2024– 570 /पटना–15, दिनांक–03/02/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ पशुपालन निदेशालय के बजट शाखा, लेखा शाखा एवं योजना शाखा, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35 / 2024– 570 / पटना–15, दिनांक–..03../..02.... / 2026.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ महालेखापरीक्षा नियंत्रक, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35 / 2024– 570 / पटना–15, दिनांक–...03../..02.... / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ मुख्यालय के सभी पदाधिकारी / योजना शाखा–6 के कार्यवाह सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35 / 2024– 570 / पटना–15, दिनांक–...03../..02.... / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–6 एस०एस०(6)35 / 2024– 570 / पटना–15, दिनांक–...03../..02.... / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी–"क"

वित्तीय वर्ष 2025–26 में "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" के तहत पशुधन रोगों के निदान के लिए अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स–रे प्रणाली स्थापित करने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

सामान्य घटक (विपत्र कोड 02–2403001010108)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	0108.3106 –सहायक अनुदान–गैर वेतन	680.88	निदेशक, पशुपालन, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	कुल :–	**680.88**		

(रुपये छः करोड़ अस्सी लाख अठासी हजार मात्र)

570
03/02/26

2/2/26

सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी—"ख"

वित्तीय वर्ष 2025—26 में "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय—2" के तहत पशुधन रोगों के निदान के लिए अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स—रे प्रणाली स्थापित करने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (विपत्र कोड 02—2403007890112)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0112.3106 —सहायक अनुदान—गैर वेतन	161.40	निदेशक, पशुपालन, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	कुल :—	**161.40**		

(रुपये एक करोड़ एकसठ लाख चालीस हजार मात्र)

570
03/02/26

2/2/26

सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी–"ग"

वित्तीय वर्ष 2025–26 में "आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय–2" के तहत पशुधन रोगों के निदान के लिए अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों में डिजिटल एक्स–रे प्रणाली स्थापित करने की योजना के सफल कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय की विवरणी।

जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (विपत्र कोड–02–2403007960131)

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	मद का नाम	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	0131.3106 –सहायक अनुदान– गैर वेतन	48.00	निदेशक, पशुपालन, बिहार।	सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना।
	कुल :–	**48.00**		

(रुपये अड़तालिस लाख मात्र)

व्यय का सारांश

क्र० सं०	व्यय विवरणी	राशि (लाख रुपये में)
1	व्यय विवरणी–"क"	680.88
2	व्यय विवरणी–"ख"	161.40
3	व्यय विवरणी–"ग"	48.00
	कुल योग :–	**890.28**

(रुपये आठ करोड़ नब्बे लाख अठाईस हजार मात्र)

570
03/02/26

3/2/26

सरकार के विशेष सचिव